UPAD010025692026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, ई.सी. ऐक्ट, प्रयागराज।
{उपस्थितः– रवि कांत ।।, उच्चतर न्यायिक सेवा}
J.O.CODE– UP6427
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–910/2026

श्रीमती फूलकली पत्नी विजय शंकर मौर्या, निवासिनी–ग्राम धनावल, पोस्ट हाटा,
थाना माण्डा, प्रयागराज।
. ...आवेदिका/अभियुक्ता,

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य
.............................अभियोगी,

मु.अ.सं.–1307/2020
धारा–135 विद्युत अधिनियम
थाना–ए0पी0टी0, जनपद–प्रयागराज।

दिनांक–12.03.2026

1. आवेदिका/अभियुक्ता श्रीमती फूलकली की ओर से अपराध संख्या–1307/2020, धारा–135 विद्युत अधिनियम थाना ए0पी0टी0 प्रयागराज के मामले में प्रकरण उपरोक्त में स्वंय से आत्म समर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में विजय शंकर मौर्या का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 26.12.2019 को समय 2.00 पी0एम0 पर अवर अभियन्ता राजेश प्रसाद की अध्यक्षता वाली विद्युत टीम द्वाराग्राम धनावल पोस्ट हाटा माण्डा प्रयागराज स्थित वादिनी की चक्की पर चेकिंग के दौरान बिना विद्युत संयोजन के चक्की आदि चला कर विद्युत उपभोग/चोरी करते हुये पाये गये। उपभोक्ता का उक्त कृत्य भा0 वि0 अधि0 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

3. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के अनुक्रम में तर्क प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी 04 माह के विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। चेकिंग के दौरान घटनास्थल पर 10 एच0पी0 की कोई मोटर नहीं थी। विवेचनाधिकारी द्वारा मात्र संदेह के आधार पर आरोपपत्र प्रेषित किया है जिसकी किसी साक्षी के साक्ष्य से पुष्टि नहीं हो रही है। अभियोजन के पास प्रार्थिनी के विरूद्ध अपराध साबित करने के लिये कोई विश्वसनीय, स्पष्ट, तार्किक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। उसके विरूद्ध आरोपित अपराध जमानतीय व शमनीय प्रकृति का है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाये।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक विद्युत द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्ता को कटिया लगाकर विद्युत चोरी करते हुये विद्युत चेकिंग टीम के द्वारा पकड़ा गया है। उसके उक्त कृत्ये से राजस्व की हानि हुयी है। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्ता जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5. अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक विद्युत के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार आवेदिका/अभियुक्ता पर कटिया लगाकर विद्युत चोरी का आक्षेप लगाया गया है। उपरोक्त विद्युत चोरी एवं बरामदगी उपकरण का जनता का कोई स्वतंत्र

जन साक्षी नहीं है। मामले में आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। विवेचना प्रभावित किये जाने की कोई संभावना नहीं है। अभियुक्ता पर आक्षेपित अपराध में अधिकतम 03 से 05 वर्ष से अनाधिक कारावास से दण्डनीय है। आवेदिका/अभियुक्ता अन्तरिम जमानत पर थी तथा उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अतः आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता श्रीमती फूलकली द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं0-910/2026, स्वीकार किया जाता है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा मु0 बीस हजार रूपये की एक जमानत व समान धनराशि की व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर कि वह पुनः ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगी, उसे नियमित जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक-12.03.2026

(रवि कांत-II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रयागराज।
J.O.CODE- UP6427